दैनिक भास्कर
बिलासपुर 06-07-2025

सख्ती पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट नहीं किया आरोपी कौन

डीएसपी की पत्नी के स्टंट पर हाई कोर्ट सख्त, सीएस से मांगा शपथपत्र

भास्कर न्यूज| अंबिकापुर

बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी निजी कार पर स्टंट करने और बर्थडे सेलिब्रेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मामले को जनहित याचिका मानकर स्वतः संज्ञान लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किस आधार पर पुलिस वाहन जैसे दिखने वाली कार में नीली बत्ती का उपयोग हुआ और क्या इस पूरे घटनाक्रम में संबंधितों के खिलाफ

कार्रवाई की गई है, इसका शपथपत्र सहित विस्तृत जवाब एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की गई है। बता दें कि वायरल वीडियो में डीएसपी की पत्नी फरहीन आरिफ और उनकी सहेलियों को नीली बत्ती लगी एक्सयूवी 700 कार की बोनट, डिक्की और दरवाजों पर स्टंट करते हुए देखा गया था। वीडियो में दिखाया गया कि जन्मदिन के मौके पर केक काटने के लिए कार की बोनट का इस्तेमाल किया।